समक्ष सी. एस. तिवाना, न्यायाधीश।

महिपाल, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य, - *उत्तरदाता।*

आपराधिक संशोधन सं. 1977 *का* 720।

26 फरवरी, 1980।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का XXXVII) - धारा *7, 12* और *16* - खाद्य अपमिश्रण निवारण *नियम 1955* - नियम *9 (जे)* - *नियम* 9 *(जे)* द्वारा अपेक्षित अभियुक्त को नहीं भेजी गई लोक विश्लेषक की रिपोर्ट - *अभियुक्त का मुकदमा - जन स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा रखे गए नमूने की जांच के लिए आवेदन करने वाले अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के लंबे समय बाद आरोपी - नमूना विघटित पाया गया* - आरोपी - क्या नियम 9 (जे) में रिपोर्ट प्राप्त न होने का लाभ उठा *सकता है और बरी होने का दावा कर सकता है - नियम 9* (जे) में निर्धारित समय सीमा - इसका अनुपालन न करना - क्या मुकदमे का उल्लंघन करता है।

यह कहना कठिन है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 9 (जे) में निर्धारित समय सीमा इतनी सख्त और कठोर है कि इसका पालन न करने से सभी अभियोजन आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त नमूने लेने और भेजने से संबंधित कई नियम हैं। नियम इतने विस्तृत हैं कि खाद्य निरीक्षकों को एक या दूसरे नियम का पालन नहीं करने की संभावना है, जिससे विभिन्न मामलों में न्याय की विफलता होगी यदि न्यायिक न्यायालयों द्वारा नियमों का सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जहां लोक विश्लेषक की रिपोर्ट नियम 9 (जे) के तहत अभियुक्त को नहीं भेजी जाती है, लेकिन पूरे सबूत जिस पर अभियोजन पक्ष निर्भर था, अदालत में पेश किया गया था और अभियुक्त किसी भी तरह के संदेह में नहीं था कि उसे किस मामले से मिलना था और उसके लंबे समय बाद वह विश्लेषण के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास रखे गए नमूने को भेजने का अनुरोध करता है। तब तक सड़ चुके पाए जाने के कारण आरोपी को उस देरी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसके लिए वह जिम्मेदार था और वह उस आधार पर बरी होने का दावा नहीं कर सकता।

सीआरपीसी की धारा 401* के तहत आदेश में संशोधन के लिए याचिका; *श्री आरएल लांबा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव ने दिनांक 24 अगस्त,* 1977 *को श्री आर. सी. कड़थुरिया, प्रथम श्रेणी, बल्लभगढ़ द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए पुष्टि की।

याचिकाकर्ता की ओर से *राम सरूप, वकील।*

प्रतिवादी की ओर से *आर.के.वर्मा, डी.ए.जी.* .

निर्णय

सी. एस. तिवाना, ***न्यायाधीश***

1.दूध विक्रेता माही पाल ने गुड़गांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 24 अगस्त, 1977 के फैसले के खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था और 3 फरवरी, 1977 के फैसले द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बल्लभगढ़ द्वारा दर्ज खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16 के तहत अपराध के लिए उसकी सजा को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ता ने 20 अक्टूबर, 1973 को श्री एसपी मलिक, पीडब्ल्यू 1, खाद्य निरीक्षक को 660 मिलीलीटर भैंस का दूध बेचा था और लोक विश्लेषक ने 9 नवंबर, 1973 को अपनी रिपोर्ट में इसे मिलावटी पाया था। दूध में वसा की आठ प्रतिशत कमी थी और दूध के ठोस पदार्थ जो वसा नहीं थे, उनमें भी न्यूनतम निर्धारित मानक से आठ प्रतिशत की कमी थी। याचिकाकर्ता को जो सजा काटनी है, वह छह महीने के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान है और यह याचिकाकर्ता द्वारा कथित अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम है। - ? [1]

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9(जे) के प्रावधानों का खाद्य निरीक्षक द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था जो इस मामले में शिकायतकर्ता है और इस प्रकार इस संशोधन में निर्धारण का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या इस संबंध में खाद्य निरीक्षक की विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। इस बिंदु का उत्तर अंततः इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उपरोक्त नियम अनिवार्य है या केवल एक निर्देशिका है। इसमें कहा गया है कि खाद्य निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर लोक विश्लेषक से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे, जिससे नमूना लिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में 18 मार्च, 1976 को ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन दिया, जिसमें प्रार्थना की गई कि स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा रखे गए दूध के नमूने की सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा फिर से

जांच की जानी चाहिए।

"यह नमूना 19 सितंबर, 1976 को सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया था, और उन्होंने 18 अक्टूबर, 1976 को यह रिपोर्ट भेजी थी कि नमूना विघटित हो गया था और इसलिए, विश्लेषण के लिए अयोग्य था। यदि ऊपर उल्लिखित नियम 9 (जे) को अनिवार्य माना जाता है तो याचिकाकर्ता को नमूने के अपघटन से लाभ प्राप्त करना है और उसकी सजा को बनाए रखना संभव नहीं होगा।

3.विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त नमूने लेने, रखने और भेजने से संबंधित कई नियम हैं। नियम इतने विस्तृत हैं कि खाद्य निरीक्षकों द्वारा एक या दूसरे नियम का पालन नहीं करने की संभावना है और यदि न्यायिक न्यायालयों द्वारा नियमों का सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो यह विभिन्न मामलों में न्याय की विफलता का कारण बनेगा। जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, शिकायत 30 नवंबर, 1973 को दायर की गई थी और याचिकाकर्ता 15 जनवरी, 1974 को अदालत में पेश हुआ था। अभियोजन पक्ष जिस पर निर्भर था, वह पूरा सबूत 16 सितंबर, 1974 तक अदालत में पेश किया गया था। याचिकाकर्ता किसी भी तरह के संदेह में नहीं था कि वह किस मामले में मिलने वाला था। उन्होंने इस उम्मीद में दो साल तक नमूना भेजने के लिए प्रार्थना करने में देरी की कि या तो उनके पास या स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पास रखा गया नमूना विश्लेषण के लिए अयोग्य हो जाएगा। यदि ऐसी परिस्थितियों में लोक विश्लेषक को नमूना विघटित लगता है, तो याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से अपने स्वयं के चूक से कोई लाभ नहीं उठाना चाहिए, एक अन्य अवसर पर, डॉ. एस. बी. मदान, डीडब्ल्यू 4 ने याचिकाकर्ता से दूध का एक नमूना प्राप्त किया था और यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता ने ट्रायल मजिस्ट्रेट को एक सीलबंद बोतल पेश करके गुमराह किया जो पिछले मामले से संबंधित थी और फिर कोशिश की गई। डॉ. एस. बी. मदान की जांच करने के लिए, जिनका उस मामले के नमूने से कोई लेना-देना नहीं था, जिसमें उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। याचिकाकर्ता निश्चित रूप से उस तारीख के बीच नमूना भेजने में कुछ देरी के लिए जिम्मेदार है जिस पर उसने इस उद्देश्य के लिए आवेदन दायर किया था और वास्तविक तारीख जिस पर इसे सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता का आचरण ऐसी प्रकृति का है कि उसे दूध के नमूने के अपघटन के कारण कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ समय के लिए खाद्य निरीक्षक द्वारा नियम 9 (जे) के तहत आवश्यक नोटिस भेजा गया था और फिर भी याचिकाकर्ता चुप रहा और फिर दो साल की समाप्ति के बाद उसने फिर से नमूने की जांच के लिए आवेदन दायर किया तो परिणाम वही होगा।. इस प्रकार गैर-अनुपालन नियम 9 (जे) ने किसी भी पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनाया है।
प्रार्थी। याचिकाकर्ता के वकील ने इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसे *लाभ सिंह बनाम भारत के रूप में रिपोर्ट किया* गया था । *केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़* (1)। उस मामले के तथ्यों के आधार पर नियम 9 (जे) के अनुपालन के कारण एक भौतिक पूर्वाग्रह पैदा हुआ था और संशोधन को स्वीकार कर लिया गया था और अभियुक्त की

दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया था। इस मामले में खाद्य निरीक्षक द्वारा टीजे दूध खरीदा गया था; 30 अक्टूबर, 1968 को शिकायत दर्ज की गई और आरोपी 11 अगस्त, 1969 को अदालत में पेश हुए, उन्होंने 19 अगस्त, 1969 को और उसी दिन जमानत बांड दाखिल किए। उन्होंने एक आवेदन दिया जिसके तहत उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें प्रदान किया गया नमूना खो गया है और जो नमूना खाद्य विभाग के पास था, उसे विश्लेषण के लिए निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता को भेजा जाना चाहिए। यह नमूना 21 अगस्त, 1969 को तैयार किया गया था, और इसे 25 अगस्त, 1969 को भेजा गया था। फिर यह 26 सितंबर, 1969 को था कि सार्वजनिक विश्लेषक ने यह राय व्यक्त की कि नमूना परीक्षण के लिए अयोग्य हो गया था, क्योंकि यह विघटित हो गया था। याचिकाकर्ता ने उस तरह की चूक बिल्कुल नहीं की थी जैसा कि तत्काल मामले में हुआ था और इस कारण से रिपोर्ट किए गए मामले के तथ्य इतने अलग-अलग हैं कि उस प्राधिकरण का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, *एम. एम. पांड्या, एफओएंडडी इंस्पेक्टर, बड़ौदा बनाम भगवानदास चिरंजीलाल और एक अन्य*(2) में की गई टिप्पणियां बहुत प्रासंगिक हैं। यह विचार व्यक्त किया गया है कि यह कहना कठिन है कि नियम 9 (जे) में निर्धारित समय-सीमा इतनी सख्त और कठोर है कि इसका पालन न करने से सभी अभियोजन आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। हेडनोट से निम्नलिखित उद्धरण लाभ के साथ पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है :

> पीठ ने कहा, "इस संदर्भ में यह ध्यान रखना जरूरी है कि जहां तक खाद्य पदार्थों से संबंधित अपराधों का संबंध है, एक तरफ सामाजिक भलाई या समाज के स्वास्थ्य के लिए खतरा है और दूसरी तरफ एक आरोपी के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह एक व्यक्ति के कल्याण और समाज के कल्याण के बीच विरोधी है जिसे इस तरह से हल किया जाना चाहिए

1. 1973 सी.एल.आर.
2. (1979) XX Gujarat Law Reporter 550 (F.B.)

> किसी भी सामाजिक खतरे को पेश किए बिना खुद का बचाव करने में आरोपी के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है।
>
> जहां तक रिपोर्ट की प्रति की देरी से आपूर्ति का संबंध है, देरी में एक दिन या एक वर्ष शामिल हो सकता है। इसलिए, इस प्रकार के मामले में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक दिन की देरी से पूर्वाग्रह पैदा होने की संभावना नहीं है, जबकि एक साल की देरी से आरोपी को खुद

का बचाव करने में कुछ पूर्वाग्रह हो सकता है। हालांकि, किसी दिए गए मामले में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक वर्ष की देरी घातक नहीं हो सकती है, लेकिन एक दिन की देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकती है। इसलिए, यह सब प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करता है।

4.इस प्रकार मैं यह विचार रखता हूं कि वर्तमान मामले में नियम 9 (जे) का पालन न करने से याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाना चाहिए। संशोधन को खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा